यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

कमांक / राजस्व / 2025 / 172 दिनांक 18.09.2025

तहसीलदार,
सागवाडा

विषयः– निर्णय / आदेश अनुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषय के कम में लेख है कि इस कार्यालय में दायर प्रकरण संख्या 26 / 2025 श्री हरी कटारा पिता कचरू निवासी सुन्दरपुर बनाम श्री अशोक पिता मोगा वगेराह निवासी सुन्दरपुर एंव भूमिधारी तहसीलदार सागवाड़ा में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः– निर्णय की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–26/25 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–19.05.2025
निर्णय दिनाकः–18.09.2025

**अनवान**

1–श्री हरी कटारा उर्फ अर्जुन पिता कचरू जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर, सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

**बनाम**

1– अशोक पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
2– अशोक जगदीश पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
3– धना पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
4– प्रभु पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
5– भरत पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
6– हेमराज पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
7– रमेश पिता मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
8–लीला पुत्री मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
9– संगीता पुत्री मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
10– श्रीमती मींर पत्नि मोगा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
11–खेमजी पिता नानीया जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
12–दलजी पिता नानीया जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
13–पना पिता नानीया जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

14–हरी पिता नानीया जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सुन्दरपुर सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

15–श्रीमान भूमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थीगण–श्री मुनीर शहजाद
अप्रार्थीगण– 1 से 10 एकतरफा
अप्रार्थी 15– पैरोकार सरकार

**प्रार्थना पत्र वावत इन्द्राज दुरस्त करने अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट**

# आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैत्रक कृषि भूमि मौजा सुन्दरपुर पटवार हल्का सामलिया तहसील सागवाडा में खाता सख्या 3/3 कुल खसरा 8 कुल रकबा 0.8897 हेक्टयर की सयुंक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के साथ खातेदारी में 1/2 वॉ हिस्सा, खाता संख्या 32/31 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.161 हेक्टयर की सयुंक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के साथ 1/4 वॉ हिस्सा है।

प्रार्थी हरी पिता कचरू का नाम वक्त विरासती नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटीवंश अर्जन पिता कचरू खाता संख्या 3/3 व 32/31 में दर्ज रेकार्ड हो गया जवकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरी पिता कचरू है। प्रार्थी के समस्त आवश्यक पहचान के दस्तावेज में प्रार्थी का वास्तविक नाम हरी पिता कचरू का इन्द्राज है ओर प्रार्थी इसी नाम से ही जाना व पहचाना जाता है।

अतः राजस्व रेकार्ड में अंकित गलत नाम को इन्द्राज दुरस्त कर सही नाम हरी पिता कचरू किया जाने सह खातेदारों को कोई आपत्ति नही होना वताते हुऐ मय राजस्व रेकार्ड एंव पहचान दस्तावेजो के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को सम्मन तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय की कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 की मृत्यु होने एंव प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किये जाने से वादी वकील द्वारा कायम मुकाम एंव पुनः सम्मन पेश करने अवसर चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 15 तहसीलदार सागवाडा को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल होने पर मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाव पेश किया गया। भूमिधारी सागवाडा ने अपने जवाव में बताया गया कि वक्त सेटलमेंट से ही अजूर्न पिता कचरू दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान जमावन्दी मौजा सुन्दरपुर के खाता संख्या 3 किता 8 रकवा 0.8897 हेक्टयर में प्रार्थी का नाम अर्जुन पिता कचरू हिस्सा 1/2 एंव खाता संख्या 32 कुल किता 01 रकबा 0.0161 हेक्टयर में प्रार्थी का नाम अर्जुन पिता कचरू हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है।

राजस्व रेकार्ड के जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में वक्त सेटलमेंट से ही अरजुन पिता कचरू दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाग हर पिता कचरू दर्ज है। जवाव के साथ सलंग्न पर्चा मौका अनुसार

मौतबिरानो द्वारा बताया गया कि मौजा सुन्दरपुर में हरी पिता कचरू अथवा अर्जुन पिता कचरू/कचरा नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा प्रार्थी द्वारा बताई गई भूमि पर वह सहखातेदार है, दोनो नाम एक ही व्यक्ति का है। सहखातेदारो द्वारा बताया गया कि हरी पिता कचरू तथा अर्जुन पिता कचरू/कचरा दोनो व्यक्ति वादी ही है तथा इनके नाम से संशोधन किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया। पर्चा मौका तैयार कर सुनाया गया एंव हस्ताक्षर कराये जाकर प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार मौजा सुन्दरपुर की वक्त सेटलमेंट संवत् 2022 के खाता नं0 1 किता 8 रकबा 5.10 बीघा में अरजुन, मौगा पिता कचरू मीणा सा0देह हि0ब0खातेदार एंव वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 की मौजा सुन्दरपुर पटवार हल्का सामलिया तहसील सागवाडा में खाता सख्या 3/3 कुल खसरा 8 कुल रकबा 0.8897 हेक्टयर की सयुंक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के साथ खातेदारी में 1/2 वॉ हिस्सा, खाता संख्या 32/31 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.161 हेक्टयर की सयुंक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के साथ 1/4 वॉ हिस्सा है।

परन्तु पत्रावली पर आए अप्रार्थी के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम की अशुद्दि होना प्रतित होता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम की शुद्दि किए जाने हेतु सहखातेदारो को कोई आपत्ति नही होना पाया गया। आज दिनांक 18.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर में भी प्रार्थी के नाम शुद्दी बाबत प्रार्थी एंव अन्य सहखातेदारों से जानकारी की जाकर पर्चा मौका बनाया गया जिसमें प्रार्थी का नाम सेटलमेंट एंव वर्तमान गबराजस्व रेकार्ड में अरजुन दर्ज है लेकिन वास्तविक नाम हरी होना बताया गया। प्रार्थी का नाम अरजुन पिता कचरू दर्ज होने की अशुद्दि हुई है जिसे सुधार किया जाकर मौजा सुन्दरपुर के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 3/3 कुल खसरा 08 कुल रकबा 0.8897 हेक्टयर भूमि में प्रार्थी के हिस्सा 1/2 में सही नाम हरी पिता कचरू एंव खाता संख्या 32/31 किता 1 कुल रकबा 0.161 हेक्टयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 में हरी पिता कचरू दर्ज रेकार्ड किया जाना न्यायोचित्त प्रतित होता है। दोनो खातो मे शेष खातेदार बदस्तुर कायम रहेगे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम की शुद्दि विवादित खाते मे दर्ज किया जावै। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 15 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर केम्प सामलिया में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा